Email ID-deoria@sec.up.in

जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया।

पत्रांकः 30 /जि0नि0का0/किट/निविदा/2020 दिनांकः– 14 सितम्बर, 2020

अल्पकालिक निविदा सूचना

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण–2020 हेतु बी0एल0ओ0 किट के क्रय हेतु मुहरबन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं शर्ते दिनांक 23 सितम्बर, 2020 तक किसी भी कार्यालय दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) देवरिया से निर्धारित धनराशि के चालान से अथवा नगद धनराशि जमा कर अपरान्ह 01.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। मुहरबन्द निविदाये दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के अपरान्ह 2.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया के निविदा बाक्स में जमा किया जा सकता है, तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अर्थात 23 सितम्बर, 2020 को अपराह्न 04.00 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) देवरिया में गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोला जायेगा । एक या सभी निविदा को बिना कारण बताये जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा निरस्त किया जा सकता है। निविदा संबंधी विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	किट की संख्या	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर की धनराशि	जमानत की धनराशि
1	बी0एल0ओ0 किट	1615	250.00	3000	20,000.00

नोट–निविदा के नियम एवं शर्ते तथा बी0एल0ओ0 किट हेतु निर्धारित सामग्री/माप/विशिष्टियॉ की सूची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है। अन्य जानकारी कार्यालय कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

(अमित किशोर)
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
देवरिया।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) देवरिया।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचा0 एवं न0 निकाय), देवरिया।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा के निविदा प्रपत्र को जनपद की बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
5. जिला सूचना अधिकारी, देवरिया को इस आशय से कि 02 प्रमुख हिन्दी दैनिक सामाचार पत्रो में 8सेमी0×8सेमी0 आकार में 01 दिन प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु सत्यापित कर बिल 02 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
6. सूचना पट्ट कलेक्ट्रेट, विकास भवन, जिला पंचायत एवं जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया पर चस्पॉ हेतु ।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
देवरिया।

ESTABLISHMENT

जिला निर्वाचन कार्यालय
(पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया ।
दिनांक–14.9.20 को प्रकाशित निविदा के नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को पंचायत/नगर निकाय निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने का अनुभव प्रमाण पत्र, फर्म का पंजीकरण संख्या, GST नम्बर, पैन नम्बर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा
2. निविदा की दरों में समस्त प्रकार के कर, उपकर एवं आकस्मिक व्यय सम्मिलित करते हुए ही दरें निविदा में अंकित की जायेगी एवं कागज एवं सामग्री का नमूना संलग्न करना होगा ।
3. निविदादाता को निर्धारित किये जाने वाले प्रारूप पर एक अनुबन्ध भी करना अनिवार्य होगा कि निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त व्यवस्थायें समय से बिना किसी व्यवधान के पूरी की जायेगी तथा राज्य निर्वाचन आयोग से बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान की मांग की जायेगी। कार्य समाप्ति के 15 दिन के अन्दर विल प्रस्तुत करना होगा।
4. धरोहर की धनराशि एन.एस.सी./ बैंक ड्राफ्ट/ सावधि जमा पत्र/पे आर्डर, जो प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया के पक्ष में देय होगा, निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।
5. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित जमानत की धनराशि एन.एस.सी./ बैंक ड्राफ्ट/ सावधि जमा पत्र/पे आर्डर के माध्यम से, जो प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया के पक्ष में देय होगा, को अनुबन्ध के साथ देना अनिवार्य होगा ।
6. अनुमोदित निविदादाता की धरोहर की धनराशि उसकी जमानत की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।
7. सशर्त निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी ।
8. अनुमोदित निविदादाता द्वारा किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर अथवा निर्वाचन कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने तथा समय के गुणवत्तापरक ढ़ग से कार्य न करने पर अथवा बीच में कार्य छोड़ने की दशा में अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है और जमानत की धनराशि को जब्त किया जा सकता है तथा पुनः निविदा की आवश्यकता पड़ने पर यदि दरों में कोई अन्तर आता है तो इस धनराशि को अनुमोदित निविदादाता से वसूल किया जा सकता है ।
9. निविदा प्रपत्र के साथ समस्त औपचारिकताएं पूरी न होने की दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. निविदादाता को आवश्यकता पड़ने पर अल्प समय में भी निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करने का उल्लेख अनुबन्ध में करना होगा ।
11. किसी भी निविदा को किसी भी समय स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा निरस्त करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय), देवरिया को होगा ।
12. निविदा प्रपत्र कय करने हेतु निर्धारित मूल्य को ट्रेजरी चालान द्वारा ''लेखाशीर्षक 0515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 101–पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां, 02–पंचायत निवार्चन से प्राप्तियां'' मद में जमा करके या नगद जमा कर कय किया जा सकता है।
13. नियत तिथि व समय के पश्चात कोई भी निविदा किसी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी ।
14. निविदा से सम्बन्धित कोई भी वाद जनपद–देवरिया न्यायालय क्षेत्र में ही नियत किया जायेगा ।
15. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0(प्रथम पक्ष) एवं विकेता(द्वितीय पक्ष) के मध्य किसी विवाद की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 को मध्यस्थ नियुक्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा, जिसके द्वारा The Arbitration & Conciliation Act 1996 (As amended upto date) के अन्तर्गत किया गया निर्णय सर्व स्वीकार्यणीय होगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार लखनऊ जनपद में ही रहेगा। प्रकरण में नियुक्त मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु स्थान, समय आदि का निर्धारण सचिव, राज्य निरर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के परामर्शोपरान्त ही किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
देवरिया।